निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी - अरनोद

प्रकरण सं. – 03/2017 दायर तारीख → 2-2-

सुन्दर बाई पिता देवाजी मीणा (प्रार्थिया)

बनाम

धापु बाई बेवा कचरू मीणा व अन्य (अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :-

1. श्री बी. एल. राठौड़ - अधिवक्ता प्रार्थिया
2. ,, ईश्वर चौधरी - अधिवक्ता अप्रार्थीगण

• प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर.टी. एक्ट •

:निर्णय:- दिनांक -

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने निम्न आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. न्यायालय हाजा में पेश किया है। मौजा कचनारा प.ह. अचतारा त. अरनोद में खाता सं. 246 के ख.नं. 98 रकबा 0.36 है, 99 रकबा 0.32 है. एवं 296 रकबा 3.42 है कुल किता 03 कुल रकबा 4.10 है स्थित है में से प्रार्थिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र वि.क्र. 1 का 1/4 हिस्सा 09-05-2007 को क्रय किया था तब से ही कब्जा काश्त है। वि.क्र. 1 ने हमारे पक्ष में नामान्तरण दर्ज न करवा वि.क्र. -4 से कब्जा ले लिया और नामान्तरण के लिये कहने पर झूठी धमकियां वि.क्र. 1 द्वारा दी जा रही है। प्रार्थिया के पक्ष में नामान्तरण दर्ज न होने के कारण उक्त आराजी पर

लगातार-

सरकारी, गैर-सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थिया जब पटवारी के पास नामान्तरण के लिये गयी तो ज्ञात हुआ हस्तगत आराजी रहन दर्ज है।

अतः प्रार्थिया अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थिया द्वारा क्रयशुदा हिस्से की आराजी को खुर्द-बुर्द, हस्तान्तरण अथवा रहन बय बख्शीश बेचान न करे व न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब पेश न करने पर जवाब बंद किया जाकर बहस प्रार्थना-पत्र पर सुनी गयी।

अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि हमने वादग्रस्त आराजी में से 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है और तभी से काबिज-काश्त है अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद पाबंद फरमाया जावे कि वो हस्तगत आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावें।

मैंने बहस योग्य अधिवक्ता उभय पक्षगान पर गौर किया तथा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त

लगातार.

खातेदारी की होकर अविभाज्य है। प्रार्थिया ने विक्रय-पत्र द्वारा वादग्रस्त आराजियात का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 से क्रय किया। सहखातेदार अपने हिस्से को विक्रय तो कर सकता है परन्तु जब तक क्रेता अन्य सहखातेदार के साथ आराजी का बंटवारा न करा ले सहभागी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है।

परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 ने स्वयं अपने हिस्से की 1/4 आराजी विक्रय का कब्जा दिया है सहखातेदार उसका पुत्र अप्रा. 2. है वह संरक्षिका है और निर्णय लेने में सक्षम है। अतः विवेचन अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये कार्यवाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थिया द्वारा क्रय किये गये हिस्से खाता सं.-256 पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/3/21

पीठासीन अधिकारी